



GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय: राजस्व विभाग

MINISTRY OF FINANCE: DEPARTMENT OF REVENUE

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नारकोटिक्स अकादमी, जालहल्ली, बेंगलुरु-560013

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS (NACIN)

ZTI, No.40, HMT FACTORY MAIN ROAD,

NEXT TO HMT SCHOOL, JALAHALLI, BENGALURU - 560 013

Email- nacin.blrexam@gov.in, Phone No. 080- 23091500

File No. NACIN/II/11/2/2025-CAO-O/o ADG-NACIN-ZC

Dated: As E-signed

परीक्षा सूचना

EXAMINATION NOTICE

विषय: वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के स्टेनोग्राफर ग्रेड-II की पुष्टि हेतु विभागीय परीक्षा

Subject: Departmental Examination for Confirmation of Stenographer Grade-II of Central Tax, Central Excise and Customs for the year 2026-27

[संदर्भ: विभागीय परीक्षा (केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और नारकोटिक्स) नियम, 2024]
[Ref.: The Departmental Examination (Central Tax, Central Excise, Customs and Narcotics) Rules, 2024]

जैसा कि ऊपर बताया गया है, सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज और कस्टम्स में स्टेनोग्राफर ग्रेड-II के कन्फर्मेशन के लिए डिपार्टमेंटल परीक्षा 23 सितंबर 2026 (बुधवार), 24 सितंबर 2026 (गुरुवार) और 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) को नीचे दी गई समय-सीमा के अनुसार आयोजित की जाएगी: -

फॉर्मेशन द्वारा नामिनेशन और प्रश्न-पत्रों की मांग भेजने की अंतिम तिथि	3 सितंबर, 2026
संबंधित फॉर्मेशन द्वारा दिए गए रोल नंबर की सूचना मिलना	3 सितंबर, 2026 को डाक से
23 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा कोऑर्डिनेटर को प्रश्न-पत्र ईमेल करना	22 सितंबर, 2026 को दोपहर बाद डाक से
24 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा कोऑर्डिनेटर को प्रश्न-पत्र ईमेल करना	23 सितंबर, 2026 को दोपहर बाद डाक से
25 सितंबर 2026 को होने वाली परीक्षाओं के लिए परीक्षा कोऑर्डिनेटर को प्रश्न-पत्र ईमेल करना	24 सितंबर, 2026 को दोपहर बाद डाक से

The Departmental Examination for Confirmation of Stenographer Grade-II of Central Tax, Central Excise and Customs for the year 2026-27 as mentioned above will be conducted from 23rd Sept. 2026 (Wed), 24th Sept., 2026 (Thu) and 25th Sept. 2026 (Fri) as per the timelines given below: -

LAST DATE FOR SENDING NOMINATION & REQUISITIN FOR QUESTION PAPERS BY THE FORMATIONS	3 rd Sept, 2026
RECEIPT OF COMMUNICATION OF ROLL NOS. ASSIGNED BY	

RESPECTIVE FORMATIONS	BY MAIL ON 3 rd Sept, 2026
E-MAILING OF QUESTION PAPER TO EXAMINATION COORDINATOR'S MAIL FOR THE EXAMS SCHEDULED ON 23 rd Sept. 2026	BY MAIL ON 22 nd Sept, 2026, A.N.
E-MAILING OF QUESTION PAPER IN EXAMINATION COORDINATOR'S MAIL FOR THE EXAMS SCHEDULED ON 24 th Sept 2026	BY MAIL ON 23 rd Sept, 2026, A.N.
E-MAILING OF QUESTION PAPER IN EXAMINATION COORDINATOR'S MAIL FOR THE EXAMS SCHEDULED ON 25 th Sept 2026	BY MAIL ON 24 th Sept. 2026, A.N.

*03.09.2026 के बाद प्राप्त नामांकन पर विचार नहीं किया जाएगा।

*NOMINATIONS RECEIVED AFTER 03.09.2026 WOULD NOT BE CONSIDERED.

2. परीक्षा का कार्यक्रम इस प्रकार है:

प्रश्नपत्र	विषय	तिथि	अवधि	समय	अंक
प्रथम)I)	संगठनात्मक ढांचा और कराधान के मूल सिद्धांत (वस्तुनिष्ठ)	23.09.2026 (बुधवार)	1 घंटा	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक	50
द्वितीय)II)	प्रशासन और स्थापना (पुस्तकों के साथ)	23.09.2026 (बुधवार)	3 घंटे	दोपहर 14.00 से 17.00 बजे तक	100
तृतीय)III)	प्रशासन और स्थापना (पुस्तकों के साथ)	24.09.2026 (गुरुवार)	3 घंटे	प्रातः 10.00 से 13.00 बजे तक	100
चतुर्थ)IV)	कंप्यूटर अनुप्रयोग और इंटरनेट का उपयोग (सिद्धांत/थ्योरी)	24.09.2026 (गुरुवार)	3 घंटे	दोपहर 14.00 से 17.00 बजे तक	100
पंचम)V)	हिंदी	25.09.2026 (शुक्रवार)	1 घंटा	प्रातः 10.00 से 11.00 बजे तक	50

The Schedule for the examination is as under: -

Paper	Subject	Duration	Date	Time	Max Mark
Paper I	ORGANIZATIONAL SETUP AND BASICS OF TAXATION (Objective type)	1 hours	23.09.2026 WEDNESDAY	10.00 hrs. to 11.00 hrs.	50
Paper II	ADMINISTRATION & ESTABLISHMENT (WITH BOOKS)	3 hours	23.09.2026	14.00 hrs. to	100

			WEDNESDAY	17.00 hrs.	
Paper III	ADMINISTRATION & ESTABLISHMENT – (WITH BOOKS)	3 hours	24.09.2026 THURSDAY	10.00 hrs. to 13.00 hrs.	100
Paper IV	COMPUTER APPLICATION AND USE OF INTERNET (THEORY AND PRACTICAL)	3 hours	24.09.2026 THURSDAY	14.00 hrs. to 17.00 hrs.	100
Paper V	HINDI	1 hours	25.09.2026 FRIDAY	10.00 hrs. to 11.00 hrs.	50

ऊपर बताए गए पेपर्स के डिटेलड सिलेबस के लिए, कृपया डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन (सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स और नारकोटिक्स) रूल्स, 2024 (18.12.2024) या साथ में दिए गए एनेक्शर B को देखें। FOR DETAILED SYLLABUS IN R/O PAPERS MENTIONED ABOVE, PLEASE REFER TO THE DEPARTMENTAL EXAMINATION (CENTRAL TAX, CENTRAL EXCISE, CUSTOMS, AND NARCOTICS) RULES, 2024, DATED 18.12.2024 OR THE ENCLOSED ANNEXURE B.

- DER-2024 का नियम 4 "क्वालीफाइंग मार्क्स" निर्धारित करता है, जिसके अनुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए, किसी अधिकारी को विभागीय परीक्षा के प्रत्येक पेपर में—जिसमें वह शामिल होता है—कुल अंकों का न्यूनतम 50% प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Rule 4 of DER-2024 stipulates "Qualifying marks" that an officer shall, in order to pass the examination, be required to secure a minimum of 50% of the total marks in each paper of the departmental examination in which he or she appears.

- प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी, दोनों माध्यमों में तैयार किया जाएगा [पेपर-IV (कंप्यूटर अनुप्रयोग और इंटरनेट का उपयोग - सैद्धांतिक और व्यावहारिक) तथा पेपर-V (हिंदी) को छोड़कर]। अभ्यर्थियों के पास उत्तर अंग्रेजी अथवा हिंदी, किसी भी माध्यम में लिखने का विकल्प होगा।
The question paper shall be set in both English and Hindi medium [except for Paper-IV (Computer Application and use of Internet (Theory and Practical) and Paper V(Hindi)]. Candidates shall have the option to write the answers either in English or Hindi.
- हर CCA (कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी) एक परीक्षा समन्वयक (Examination Coordinator) को नॉमिनेट करेगा, जो असिस्टेंट कमिश्नर के पद से नीचे का नहीं होना चाहिए, और एक इनविजिलेटर (Invigilator) को नॉमिनेट करेगा, जो एक गजेटेड ऑफिसर होना चाहिए। परीक्षा समन्वयक को ज़रूरी निर्देश दिए जाएं ताकि तय तारीखों पर डिपार्टमेंटल प्रमोशन परीक्षा कराने के लिए ज़रूरी इंतज़ाम किए जा सकें। हर CCA में नॉमिनेट किए गए परीक्षा समन्वयक को यह पक्का करना होगा कि परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो। परीक्षा कराने के बारे में विस्तृत निर्देश साथ में लगे Annexure-I ("Instructions for Examination") में दिए गए हैं, जो इस नोटिफिकेशन का एक अहम हिस्सा है। परीक्षा समन्वयक की जानकारी और Annexure-A (साथ में लगा हुआ) के अनुसार प्रश्न-पत्रों की मांग (requisition), असिस्टेंट डायरेक्टर (परीक्षा) या एडिशनल असिस्टेंट डायरेक्टर (परीक्षा), NACIN बेंगलुरु को ईमेल एड्रेस nacin.blrexam@gov.in पर ईमेल के जरिए भेजी जानी चाहिए। NACIN, ZTI, बेंगलुरु किसी भी कमिश्नरेट से अलग-अलग बातचीत नहीं करेगा और न ही इस मामले में किसी कमिश्नरेट/डायरेक्टरेट से कोई पत्राचार करेगा। Each CCA (Cadre Controlling Authority)

shall nominate an Examination Coordinator who shall be not below the rank of an Assistant Commissioner and an Invigilator, who shall be a gazetted officer. Necessary instructions may kindly be given to the Examination Coordinator to make necessary arrangements to conduct the said Departmental Promotion Examination on the scheduled dates. Examination Coordinator nominated in each CCA shall ensure that the examination is conducted in a fair and transparent manner. Detailed instructions on the conduct of examination are given at Annexure-I ("Instructions for Examination") enclosed, which is an integral part of this notification. The details of the Examination Coordinator along with the requisition for the question papers as per **Annexure-A** (enclosed) should be sent to Assistant Director (Examination) or the Additional Assistant Director (Examination), NACIN Bengaluru through email to the email address: **nacin.blrexam@gov.in** NACIN, ZTI, Bengaluru will not be communicating individually with any of the Commissionerates nor it will entertain any correspondence from individual Commissionerate/Directorate in this regard.

5. उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण CCA द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में, विभागीय परीक्षा (केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और नारकोटिक्स) नियम, 2024 और समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/निर्देशों का संदर्भ लिया जा सकता है।

The eligibility of the candidates shall be ascertained by the CCA. In this regard, the Departmental Examination (Central Tax, Central Excise, Customs and Narcotics) Rules, 2024 and guidelines/instructions issued from time to time may be referred to.

6. परीक्षा समन्वयक (Examination Co-Ordinator) के विवरण के साथ प्रश्न-पत्रों की मांग, जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया हो, सहायक निदेशक (परीक्षा) या अतिरिक्त सहायक निदेशक (परीक्षा), NACIN, ZTI, बेंगलुरु को केवल ईमेल (nacin.blrexam@gov.in) के माध्यम से 3 सितंबर, 2026 तक अवश्य प्राप्त हो जानी चाहिए। कृपया ध्यान दें कि इसके बाद प्राप्त होने वाली मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा।

Requisition for question papers along with details of the Examination Co-Ordinator, duly approved by the competent authority, must reach the Assistant Director (Examination) or the Additional Assistant Director (Examination), NACIN, ZTI, Bengaluru, through email (**nacin.blrexam@gov.in**) only latest by **3rd Sept, 2026**. It may please be noted that the requisitions received thereafter shall not be entertained.

7. उम्मीदवारों के रोल नंबर उस क्रम में दिए जा सकते हैं जिसमें पहले "स्टेशन का नाम" और फिर "पद" (जिसके लिए वे परीक्षा देना चाहते हैं) लिखा हो। उदाहरण: BENGALURU/STENOGR-2/01। रोल नंबर देने के लिए किसी अन्य फॉर्मेट का इस्तेमाल न करें।

The Roll nos. of the candidates may be assigned in the order prefixing the "Name of Station" and "Post" for which they intend to appear. Example: **BENGALURU/STENOGR-2/01**. Any other format of assigning Roll nos. may please be avoided.

8. डेपुटेशन/लोन के आधार पर काम कर रहे जो उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होने के योग्य और इच्छुक हैं, उन्हें उनके मूल CCA द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। अगर उम्मीदवार अपनी मौजूदा पोस्टिंग वाली जगह पर परीक्षा देने का अनुरोध करता है, तो ऐसे नॉमिनेशन के साथ कैंडिडेट कंट्रोल अथॉरिटी (CCA) से "नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट" भी भेजा जा सकता है।

Candidates working on Deputation/loan basis who are eligible and willing to

appear for the examination shall be nominated from their Parent CCA. Such nomination may be sent along with "No Objection Certificate" from the Cadre Control Authority (CCA) in case the candidate has represented to take up the exam in his/her current place of posting.

9. केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के स्टेनोग्राफर ग्रेड-II की पुष्टि के लिए पाठ्यक्रम अनुबंध - B (संलग्न) में दिया गया है।
The Syllabus for Confirmation of Stenographer Grade-II of Central Tax, Central Excise and Customs is indicated in **Annexure - B** (enclosed).
10. जो उम्मीदवार कस्टम्स से जुड़े मामलों को संभालने वाले कस्टम्स विभागों या डायरेक्टरेट में तैनात हैं, उन्हें कस्टम्स विषय से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न-पत्र I का उत्तर देना होगा। इसी तरह, जो उम्मीदवार GST से जुड़े मामलों को संभालने वाले GST विभागों या डायरेक्टरेट में तैनात हैं, उन्हें GST विषय से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न-पत्र I का उत्तर देना होगा। हालाँकि, जो उम्मीदवार कस्टम्स और GST दोनों मामलों को संभालने वाले डायरेक्टरेट/विभागों में तैनात हैं, उनके पास ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न-पत्र I के लिए कस्टम्स विषय या GST विषय में से किसी एक का उत्तर चुनने का विकल्प होगा। इस संबंध में, उम्मीदवार कस्टम्स/GST से संबंधित एनेक्शर-B में दिए गए सिलेबस को देख सकते हैं। संबंधित CCA यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवारों को उसी के अनुसार प्रश्न-पत्र जारी किया जाए। Candidates posted to Customs formations or Directorates dealing with the Customs matter have to answer the Objective Type Question Paper – I pertaining to Customs subject. Similarly, Candidates posted to GST formations or Directorates dealing with GST matter have to answer the Objective Type Question Paper – I pertaining to GST subject. However, the candidates posted to the Directorates/formations dealing with both Customs and GST matters, will have the option of answering either Customs subject or GST subject, in so far as Objective Type Question Paper – I is concerned. In this regard, the candidates may refer to the Syllabus prescribed in the **Annexure- B** pertaining to Customs/GST. The concerned CCA would ensure that the candidates are issued with Question Paper accordingly.
11. निर्धारित तारीखों पर उक्त विभागीय पुष्टि परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा सकते हैं। संबंधित केंद्र कंट्रोलिंग अथॉरिटी (CCA) नीचे दी गई गाइडलाइंस के अनुसार पेपर-III (कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंटरनेट का उपयोग) आयोजित करेगी:
 - (i) कंप्यूटर एप्लीकेशन की थ्योरी परीक्षा 1 घंटे 30 मिनट की होगी, जो 24 सितंबर, 2026 (गुरुवार) को दोपहर 2:00 बजे से 3:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। प्रैक्टिकल परीक्षा भी 1 घंटे 30 मिनट की होगी, यानी उसी दिन (24 सितंबर, 2026 - गुरुवार) थ्योरी परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद, दोपहर 3:30 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी।
 - (ii) 100 के अधिकतम अंकों में से, थ्योरी परीक्षा के लिए 50 अंक और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए 50 अंक निर्धारित हैं। उम्मीदवारों को थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग-अलग कम से कम 25 अंक प्राप्त करने होंगे।
 - (iii) प्रैक्टिकल परीक्षा संबंधित CCA में इस कार्यालय से जारी प्रश्न-पत्र के आधार पर आयोजित की जा सकती है। यह परीक्षा परीक्षा समन्वयक (Examination Coordinator) की देखरेख में और कमिश्नरेट के कंप्यूटर सेल, NIC या डायरेक्टरेट ऑफ सिस्टम्स के अधिकारियों की सहायता से आयोजित की जा सकती है (जहाँ भी ये उपलब्ध हों)। प्रैक्टिकल परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए पर्याप्त कंप्यूटर, प्रिंटर आदि उपलब्ध कराने हेतु ज़ोन/कमिश्नरेट स्तर पर आवश्यक कदम उठाए जा सकते हैं।
 - (iv) कंप्यूटर थ्योरी परीक्षा पूरी होने के बाद ही, संबंधित फॉर्मेशन द्वारा नियुक्त

अधिकारी/अधिकारियों द्वारा CCA में प्रैक्टिकल परीक्षा के पेपर का मूल्यांकन किया जाएगा। दिए गए अंकों की जानकारी अगले ही वर्किंग डे पर ईमेल आईडी nacin.blrexam@gov.in पर ईमेल के जरिए इस कार्यालय को दी जाएगी। कंप्यूटर थ्योरी पेपर की उत्तर-पुस्तिकाएं और प्रैक्टिकल परीक्षा की मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाएं, अन्य विषयों की परीक्षा उत्तर-पुस्तिकाओं के साथ NACIN, ZTI, बेंगलुरु भेजी जाएंगी। पेपर IV (कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंटरनेट का उपयोग: प्रैक्टिकल) के लिए अंक देने का प्रोफार्मा एनेक्शर E के रूप में संलग्न है।

Necessary instructions may be given to the concerned to make arrangements to conduct the said Departmental Confirmation Examination on the scheduled dates. The Cadre Controlling Authority (CCA) concerned, shall conduct the Paper – III Computer Applications and Use of Internet as per the guidelines below:

- i. The theory examination in Computer Application is for one hour and 30 minutes' duration which will be conducted from 14.00 hrs. to 15.30 hrs. on 24th Sept, 2026 (Thu). The practical examination is for one hour and 30 minutes duration i.e., from 15.30 hrs. to 17.00 hrs. on the same date i.e., 24th Sept, 2026 (Thu) immediately after the completion of theory examination.
 - ii. Out of the maximum marks of 100, the theory examination carries 50 marks and the practical examination carries 50 marks. Candidates are required to score a minimum of 25 marks in theory and practical separately.
 - iii. The Practical examination may be conducted at the respective CCA on the basis of the question paper issued from this office under the supervision of the Examination Coordinator with the assistance of the Computer Cell of the Commissionerate or the officers drawn from NIC or the officers drawn from the Directorate of Systems may be taken, wherever the same is available. Necessary steps may be taken at the Zone/Commissionerate level to provide enough computers, printers etc. for smooth conduct of the practical test.
 - iv. After the completion of the Computer examination only, the evaluation of the Practical Examination paper has to be carried out at the CCA itself by the officer/s designated for the same by the respective formation and the marks awarded shall be intimated to this office by e mail in Mail ID: nacin.blrexam@gov.in on the very next working day. The answer sheets pertaining to the Computer Theory Paper and evaluated answer sheets of the practical examination shall be sent to NACIN, ZTI, Bengaluru, along with the examination answer sheets of other subjects. The proforma for awarding marks for Paper IV (Computer Application and use of Internet: Practical) is enclosed as Annexure E.
12. परीक्षा के प्रश्न पत्र, पिछले पैराग्राफ में बताई गई तारीखों पर, केवल ई-मेल के माध्यम से परीक्षा समन्वयक को पासवर्ड-सुरक्षित PDF फॉर्मेट में भेजे जाएंगे; परीक्षा समन्वयक उसी दिन, वापस ई-मेल करके NACIN बेंगलुरु को इन प्रश्न पत्रों की प्राप्ति की पुष्टि करेंगे। PDF खोलने के लिए पासवर्ड, संबंधित परीक्षा शुरू होने से एक घंटा पहले, अधिकृत अधिकारी की ई-मेल ID पर और फोन पर बताया जाएगा।

The question papers for the examination would be sent in password protected PDF format to the Examination Coordinator through e-mail, **on the dates mentioned in the preceding paragraphs through e-mail only** who in turn shall acknowledge the receipt of the same to NACI, ZTI, Bengaluru by return e-mail on the same day. Password for opening the PDF will be communicated to the Examination Co-Ordinator's mail ID or over phone, one hour before the commencement of the respective examination.

13. सभी CCA से अनुरोध है कि वे इस सूचना को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी कमिशनरेट/कस्टम हाउस/डायरेक्टरेट तक पहुँचाएँ और ज़रूरी डेटा (साथ में दिए गए तय Annexure 'A' में नॉमिनेशन और कोऑर्डिनेटर की जानकारी) इकट्ठा करके उसे 03-09-2026 तक NACIN, ZTI, बेंगलूर को ज़रूर भेज दें। NACIN, ZTI, बेंगलूर किसी भी कमिशनरेट से अलग-अलग संपर्क नहीं करेगा और न ही इस मामले में किसी कमिशनरेट/डायरेक्टरेट से सीधे कोई पत्राचार करेगा।

All the CCAs are requested to circulate this Notification to all the Commissionerates/ Customs Houses/Directorates within their jurisdiction and collect the required data (Nomination and Co-Ordinator's details in the enclosed prescribed Annexure 'A') and forward it to NACIN, ZTI, Bangalore by 03-09-2026 positively. NACIN, ZTI, Bangalore will not be communicating individually with any of the Commissionerates nor it will entertain any correspondence from individual Commissionerate/Directorate in this regard.

14. NACIN, ZTI, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों की जानकारी केवल CCAs को देगा। परिणाम [संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार; यदि कोई निर्देश लागू हों (जैसे कि मंत्रालय/बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश आदि); तथा SC, ST और OBC उम्मीदवारों को दी जाने वाली छूट (जो भी लागू हो)] की घोषणा CCA, या CCA द्वारा विधिवत अधिकृत किसी अन्य कार्यालय द्वारा, इस कार्यालय को सूचित करते हुए की जाएगी।

NACIN, ZTI, Bengaluru, would convey the marks obtained by the candidates only to the CCAs. Result [in consonance with the relevant Recruitment Rules; the instructions in force, if any, (by the Ministry/Board from time to time etc.), grant of relaxations to the SC, ST & OBC candidates, as may be applicable], shall be declared by the CCA or any other office duly authorized by CCA under intimation to this office.

15. कृपया इस नोटिफिकेशन के पहले पेज पर दिए गए टाइमलाइन चार्ट पर ध्यान दें। अगर आपके अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी परीक्षा केंद्र के संबंध में कोई समस्या आती है, तो कृपया तुरंत श्री के.एन. प्रसाद, असिस्टेंट डायरेक्टर (परीक्षा) (मोबाइल: 9845485193) या श्री रामचंद्र एम. हेगड़े, AAD (परीक्षा) (मोबाइल: 9449720834) को सूचित करें (पता: नंबर 40, HMT फैक्ट्री मेन रोड, HMT स्कूल के पास, जलाहल्ली, बेंगलूर - 560 013 या ईमेल: nacin.blrexam@gov.in), ताकि ज़रूरी कार्रवाई तुरंत की जा सके।

A close watch may please be kept on the TIMELINE CHART given in the first page of this notification. In case of any issues in respect of various examination centres under your charge, the same may be brought to the immediate notice of Shri K.N.Prasad, Assistant Director (Examination) (Mob. 9845485193) or Shri Ramachandra M Hegde, AAD (Examination) (Mob.9449720834) No.40, HMT Factory Main Road, Next to HMT School, Jahallali, Bengaluru - 560 013 or at Email- nacin.blrexam@gov.in so that action needed can be taken immediately.

16. NACIN, ZTI, बेंगलूर के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि यह पाया जाता है कि

परीक्षा के संचालन के दौरान अनुचित साधनों का उपयोग किया गया था या करने की अनुमति दी गई थी, अथवा किसी के साथ कोई पक्षपात या अन्याय हुआ था, तो वह पूरी परीक्षा को, या किसी एक उम्मीदवार की परीक्षा को, या किसी एक केंद्र की परीक्षा को, अथवा केंद्रों के किसी समूह की परीक्षा को रद्द कर दे। परीक्षा केंद्रों के अधिकृत अधिकारी या निरीक्षक के पास भी यह अधिकार है कि यदि अनुचित साधनों का उपयोग पाया जाता है, तो वह NACIN, बेंगलुरु की स्वीकृति से, अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले किसी उम्मीदवार की परीक्षा को या पूरे केंद्र की परीक्षा को रद्द कर दे।

NACIN, ZTI, Bengaluru reserves the right to cancel the whole examination or the examination of a candidate or that of a Center or a cluster of Centers, if it is found that unfair means were used or allowed to be used or any partiality or injustice is done to anybody during the conduct of the examination. The Invigilator of the examination Centers with the concurrence of the respective Examination Coordinator has the right to cancel the examination of a candidate or the whole Center under his jurisdiction with the approval of NACIN, ZTI Bengaluru, in case of use of unfair means.

17. परीक्षा से जुड़ा नोटिस CBIC और NACIN की वेबसाइटों (क्रमशः www.cbic.gov.in और www.nacin.gov.in) पर भी डाला जा रहा है, जिसे इस मामले में सभी संबंधित लोगों को सूचना माना जाएगा। परीक्षा के लिए निर्देश इस परीक्षा सूचना के साथ संलग्न हैं और इसका एक अभिन्न अंग हैं।

The examination notice is also being posted on CBIC and NACIN websites i.e. www.cbic.gov.in and www.nacin.gov.in respectively, which is treated as communication to all concerned in this regard.

Instruction for examination is enclosed with this examination notice and is an integral part of it.

18. यह आदेश प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल, NACIN, ZTI, बेंगलुरु के अनुमोदन से जारी किया गया है।

This issue with the approval of the Principal Additional Director General, NACIN, ZTI, Bengaluru.

(Dr. SUJITKUMAR P SOMPUR)
ADDITIONAL DIRECTOR

संलग्नक/ Enclosures:

1. परिशिष्ट - I – परीक्षाओं के लिए निर्देश
Annexure – I – Instructions for Examinations
2. परिशिष्ट - A – नामांकन और प्रश्न पत्रों की मांग के लिए प्रपत्र
Annexure – A – Proforma for Nomination & Requisition of Question

3. परिशिष्ट - B – केंद्रीय कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क के प्रत्यक्ष भर्ती आशुलिपिक ग्रेड-II की पुष्टि हेतु परीक्षा का पाठ्यक्रम
Annexure – B – Syllabus for Examination for Confirmation of Direct Recruit Stenographer Grade-II of Central Tax, Central Excise and Customs
4. परिशिष्ट - C - प्रत्येक उत्तर-पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रपत्र
Annexure – C - Proforma for first page of Each Answer Sheet
5. परिशिष्ट - D – उत्तर पुस्तिकाओं को सील करते समय की जाने वाली कार्यवाही का प्रपत्र
Annexure -D – Proforma for the proceedings while sealing the answer booklets
6. अनुबंध E - पेपर-IV – कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंटरनेट का उपयोग (प्राॅक्टिकल) के लिए अंक देने का प्रोफार्मा Annexure E- Proforma for awarding marks for Paper-IV – Computer Application and use of Internet (Practical)

-

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / सीमा शुल्क मुख्य आयुक्त
All Principal Chief Commissioners/ Chief Commissioners of Customs
2. सभी प्रधान मुख्य आयुक्त / केंद्रीय उत्पाद शुल्क और GST मुख्य आयुक्त
All Principal Chief Commissioners / Chief Commissioners of Central Excise & GST
3. सभी प्रधान महानिदेशक / महानिदेशक
All Principal Director Generals / Director Generals
4. अपर महानिदेशक (परीक्षा), NACIN, पालसमुद्रम को - सूचना, प्रसार, संबंधित विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशन और आवश्यक कार्रवाई हेतु।
The Pr.Addl. Director General (Exam), NACIN, Palasamudram for information, circulation, publication in relevant departmental website and necessary action please.
5. वेबसाइट प्रबंधक, प्रणाली महानिदेशालय, नई दिल्ली को - CBIC की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
The Manager Website, Directorate General of Systems, New Delhi for uploading on website of CBIC.